संख्या-जी–2–1018 / दस–2009–351-2009

प्रेषक,

बी0एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त, 2009

विषयः– शासकीय सेवकों / पात्र शिक्षकों के "अदेयता प्रमाण-पत्र" के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कुछ प्रकरण जिसमें "अदेयता प्रमाण-पत्र" कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किया जाना शेष है तो उनकी डी0डी0ओ0 वाइस सूची कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें। उक्त के साथ ही साथ आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारी को यह निर्देशित कर दें कि जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने गृह निर्माण / मोटरकार / कम्प्यूटर अग्रिम आदि प्रयोजनों के लिये ऋण लिया है तथा वे एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनकी सूची अभिलेखों सहित कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दें जिससे कि शासकीय सेवकों / पात्र शिक्षकों को "अदेयता प्रमाण-पत्र" कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर से ससमय निर्गत किया जा सके।

भवदीय,
बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव।

संख्या जी–2–1018(1) / दस–2009–351-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–टी0एम0–II/ग्रुप-2-276, दिनांक 16 जुलाई, 2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
(2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव / विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय, प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
(5) शासन के समस्त विशेष सचिव / सचिव / प्रमुख सचिव।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 सा० वित्त–29-4-2010–(164)–3,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / आफसेट)